



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072021-228424
CG-DL-E-22072021-228424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]
No. 292]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ़ 31, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943

रेल विकास निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

सं. 2021—CPM/RVNL/PATNA/3rd Line/SEB-PTRU/Work Correspondance.—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसके उपवद्ध अनुसूची में दिया गया है, बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना, सोननगर से गढ़वा रोड में तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण के परियोजन के लिए अपेक्षित है ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, औरंगाबाद, बिहार प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य में सोननगर से गढ़वा रोड में तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु औरंगाबाद जिले के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: औरंगाबाद

क्र.सं.	मौजा का नाम	थाना का नाम	प्लॉट / सर्वे संख्या	प्रभावित प्लॉट	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	परसा-198	बारुण	9	आंशिक	0.0354	0.0875
2			13	आंशिक	0.0020	0.0050
3			16	संपूर्ण	0.0162	0.04
4			17	संपूर्ण	0.0040	0.01
5			18	संपूर्ण	0.0040	0.01
6			19	संपूर्ण	0.0081	0.02
7			20	संपूर्ण	0.0040	0.01
8			21	आंशिक	0.0071	0.0175
9			22	आंशिक	0.0182	0.045
10			6 / 75	आंशिक	0.0101	0.025
11			7 / 82	आंशिक	0.0121	0.03
12			88	संपूर्ण	0.0081	0.02
13			90	संपूर्ण	0.0081	0.02
14			24 / 92	संपूर्ण	0.0040	0.01
15			82 / 94	आंशिक	0.1377	0.34
16			34 / 132	आंशिक	0.0972	0.24
17			132 / 134	आंशिक	0.0263	0.065
18			91 / 138	संपूर्ण	0.0121	0.03
टोटल					0.4147	1.025
19	खैरा-200	बारुण	118	आंशिक	0.0292	0.072
20			119	आंशिक	0.0182	0.045
टोटल					0.0474	0.117
टोटल					(0.04147+0.0474) =0.4621	(1.025+0.117) =1.142

कृष्णा कुमार भार्गव, मुख्य परियोजना प्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./156/2021-22]

RAIL VIKAS NIGAM**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2021

No. 2021-CPM/RVNL/PATNA/3rd Line/SEB-PTRU/Work Correspondence.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution of Special Railway project, Construction of 3rd line from Sonnagar to Garhwa Road, in the district of Aurangabad in the state of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Land Acquisition Officer, Aurangabad, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objection;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the Special Railway Project namely, for construction of third railway line from Sonnagar to Gadhwara Road in the District of Aurangabad in the state of Bihar.

Name of District : **Aurangabad**

Sl No.	Name of Mouza	Name of Thana	Plot/Survey Number	Affected Plot	Area (in Hectare)	Area (in Acre)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Parsa –198	Barun	9	Part	0.0354	0.0875
2			13	Part	0.0020	0.0050
3			16	Total	0.0162	0.04
4			17	Total	0.0040	0.01
5			18	Total	0.0040	0.01
6			19	Total	0.0081	0.02
7			20	Total	0.0040	0.01
8			21	Part	0.0071	0.0175
9			22	Part	0.0182	0.045
10			6/75	Part	0.0101	0.025
11			7/82	Part	0.0121	0.03
12			88	Total	0.0081	0.02
13			90	Total	0.0081	0.02
14			24/92	Total	0.0040	0.01
15			82/94	Part	0.1377	0.34
16			134/132	Part	0.0972	0.24

17			132/134	Part	0.0263	0.065
18			91/138	Total	0.0121	0.03
Total					0.4147	1.025
19	Khaira – 200	Barun	118	Part	0.0292	0.072
20			119	Part	0.0182	0.045
Total					0.0474	0.117
Total					(0.4147+0.0474) = 0.4621	(1.025 + 0.117) = 1.142

K. K. BHARGAVA, Chief Project Manager

[ADVT.-III/4/Exty./156/2021-22]